


4836 E

आराजा (73)



21 JUN 2000

01BB 196483

R
र प्रदेश

विक्रमपत्र

मै वासुदेव मध्यान पुत्र सोमा मल निवासी न० १२२ लुकर गंज शहर
इलाहाबाद का हूँ। जो कि आराजी भूमिधरी न० ७३ तिहत्तर
रक्बा २ दो वीधा हनौ विस्वा ७ सात धुर स्थित मौजा रहीमाबाद
परगना व. तहसील सदर जनपद इलाहाबाद का तनहा मालिक व काविज
व भूमिधर हूँ जो कि हर तरह के बार से पाक व साफ है तथा जिसमे
किसी दूसरे व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही किसी
अन्य व्यक्ति से कोई वास्ता व सरोकार है। तथा इस भूमि मे कोई दूसरा
साम्प्रीदार व हिस्सेदार नहीं है। मुझे उपरोक्त आराजी को विक्रय
करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जूँकि मुझ मुक्ति को इस समय वास्ते
खचौखानगी तथा अपने रोजगार के लिये रुपयों की सख्त जरूरत है

Sandeep Mandal

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

21/6/2000
15000
Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

2 mm 30mm
20mm

SM - 2 5025 mm
Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

7.7 mm

Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

7.7 mm



Handwritten notes and numbers, including a date and a large number.

7.7 mm



२-

और सिवाय उपरोक्त बाराजी को विक्रय करने के अलावा अन्य किसी श्रोतों से रुपया मिलने की कोई गन्जायश नजर नहीं आती लिहाजा मुझ मुक्तिर ने छुब सोच व समझ कर तथा बादलेने सलाह व मशविरा आपस मे व अपने अन्य रिस्तेदारी के यही मुनासिब समझा कि अपनी उपरोक्त बाराजी को किसी को विक्रय कर डूँ उपरोक्त बाराजी को बेचने की ख्वाँ करने पर डा० डी० एन० तिवारी अध्यक्ष उत्थान सतत विकास एवम् गरीबी उन्मुलन केन्द्र स्थित १८ ए० बाकलेड रोड इलाहाबाद (पुत्र श्री विष्णु भगवान तिवारी) खरीदने को तैयार हो गये तथा उन्नित काम मु० ३५००० रु० पैंतिस हजार रु० प्रति वीघा के दरसे देने को तैयार है। जो कि मेरी उपरोक्त बाराजी की सही बाजारी कीमत है और मुझको न ही कोई दूसरा इससे ज्यादा दाम देने को तैयार है और मुझको इससे ज्यादा कीमत मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

लिहाजामैने अपने राजी व हूशी से यह मुनासिब समझा कि उक्त बाराजी को मु० ३५००० रु० प्रति वीघा के दर से डा० डी० एन० तिवारी उपरोक्त के हक मे बेच डूँ ।

Vasudeo Mandhwa



३-

21 JUN 2000

उत्तर प्रदेश

अतः मैंने छुब सोच वसमभ कर विनाकिसी केडराये व धमकाये व दवाव
नाजायज के वाद लेने सलाह वमशविरा अपने रिस्तेदारों के अपनी आराजी
को जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया गयाहै वहक व बदस्त डा० डी० एन०
तिवारी
मिशन अस्पता उत्थान सतत विकास एवम् गरावीउन्सुलन केन्द्र स्थित १८ ए०
आकले=डरीड इलाहाबाद (पुत्र श्री विष्णु भगवान तिवारी) वरकज मु०
८५५० रु० बियासी हजार पाँच सौ पचास रुपया मे जिसका आधा मु०
४३२७५ रु० तैतालिस हजारदो सौ पचहत्तर रु०होता है-विक्रय कर दिया
इस सम्बन्ध मे मैंने दि० १२-१-२००० को ४५००० रु० नकद तथा दि०
२७-३-२००० कोजारिये बैकसी चेक नम्बर ८०४०२४ ४०५५० रु० कुल ८५५५० रु०
पच्चासी हजार पाँच सौ पचास रु०क्रेता से पा चुका हूँ तथा १००० रु० एक
हजार रु० नकद आज प्राप्त करलियाहै अब मुझे विक्रेता को उक्त हरीदार से
कुछ भीपाना शेग नही रह गया है । आज की तारीखसे मुझ विक्रेता ने बिकी
हुयी जायदाद पर सेअना कच्चा व दल्ल उठा लिया तथाहरीदार उपरोक्त
को विक्री कीहुयीजायदाद पर मालिकाना कच्चा व दल्लदे दियाहै आज

Varunesh Manohar

कापः १९१५

21/6/2000
 १०००५
 ७८५
 २१/६/२०००





8-

की तारीख से खरीदार विकी हुई जायदाद का मालिक का किज व भूमिधर हो गया है उसको अधिकार है कि जायदाद विकी हुई को जिस तरह से चाहे अपने उपयोग में लावे तथा जिस तरह से चाहे हस्तान्तरित करे और अपना नाम दर्ज कागजात सरकारी कर लेवे तथा मुक्त विक्रेता का नाम कागजात सरकारी से ला रिज करा देवे इसमें मुक्त विक्रेता तथा मेरे वारिसान व कायम मुकामान को न तो कुछ उज्र है न होगा।

यदि विकी हुई जायदाद पर से क़ुलिया अंश भाग से खरीदार व उसके वारिसान व कायम मुकामान का कब्जा व दखल मिलकियत विक्रेता गण के किसी नुक्स के कारण अथवा किसी अन्य नुक्स के कारण निकल जावे तो क्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान को हक होगा कि अपना कुल गत जुज विक्रय मूल्य जैसा कि मौका हो मय नुक्सान व हानि के मुक्त से व मेरे वारिसान व कायम मुकामान से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे इसमें हमको तथा हमारे वारिसान व कायम मुकामान को न तो कुछ उज्र है न होगा। लिहाजा यह विक्रयपत्र पूर्ण रूपेण लिख दिया कि सनद रहे तथा समय पर काम आवे।

Sanjeev Mandley

21/6/2020
18 p. 2019/2020 (TS)

100/-
Kumar Suresh Reddy
Smt. Smt.

21/6/2020





५-

21 JUN 2000

R
उत्तर प्रदेश

तहसील जायदाद मुबैया जिसको विक्रय किया

जा रहा है।

आ राजीमूमिधरी न० ७३ तिहत्तर कवा २ दौ वीधा ६ नौ विस्वा
 ७सात धूर स्थित मौजा रहीमाबाद पगना व तहसील सदर जनपद इलाहाबाद
 कुल का कुल मयजुमला हक व हकुक के विक्रय किया जिसका सरदारी दर एक लाख
 ब्यासी हजार रु० प्रति एकड़ है स्टाम्प २७०००० रु० पर २७००० रु० का
 दिया जा रहा है। किस्म जमीन मंफत दो सिंचित है सरकिल न० ५ है
 भूमि उपरोक्त कृषि योग्यभूमि है तथा इसमें लेतीहोती है।
 नोट- पन्ना ३ के सतर ४ में मिश्रा कट कर त्वारी टाईप है।

टाईपकर्ता *राजेश प्रसाद* अहाता दीवानी कचहरी इलाहाबाद
 मसविदा कर्ता *सुरेश नारायण त्रिपाठी*
 दि० ६-७-२००० ई० *स्कोके २*

विक्रेता

गवाह *विश्वनाथ*
 गवाह *सुबोधन*
Anand Lal Singh Pandey
 Advocate

Vaundes Mandke

21/6/2000
 181
 100/

7-7-2010
 2210
 4836

316
 36
 445
 20-12-2000



10/1/23 0

50 Rs.



2



12/



Handwritten signature

कोर्टी तह न्यायालय प्रमाणित
 कोर्टा तह न्यायालय प्रमाणित
 02

तित्तिम्मा

मै वासुदेव मध्यान पुत्र सोभा मलनिवासी न० 122 लूकर गंज इलाहाबाद
 --- प्रथमपदा विक्रेता

व

उत्थान सेन्टर फगर सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एन्ड पावर्टी रिलिफेशन
 (उत्थान सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन केन्द्र) न० 18 ए० आकलेन्ड
 रोड इलाहाबाद जरिये अध्यक्ष श्री डा० दीना नाथ तिवारी पुत्र स्व०
 श्री विष्णु भगवान तिवारी निवासी 18 ए० आकलेन्ड रोड
 इलाहाबाद ----- द्वितीय पदा क्रेता

जो कि प्रथमपदा ने आराजी मूमिधरी न० 73 तिहत्तर
 रकमा 2 दो वीधा नौ विस्वा सात घर स्थित मौजा रहीमाबाद
 परगना व तहसीलसर जनपद इलाहाबाद को जरिये बयनामा दि०
 6-7-2000 ई० मुसद्दा 7-7-2000 ई० फोटो प्रति पुस्तक स० 1
 ख० 22० पन्ना 3०7 से 316 क्रम स० 4836 वहक क्रेता द्वितीयपदा

12/ *Vandoo Moudhu*

कीमत ५० **दिनांक** १६/११/२००२
नाम उत्पल सेन-एल फार सार्वजनिक उपलक्षण-२०५ पावले शहीद विद्यालय जीपी डा. दीन नान (नियत)
निवासी १६२ कांचनपुर शहर जिला इलाहाबाद
स्टाम्प दिशोला बीमा देवी जायसवाल इला०
सं० ४२८ प्रिविल कोर्ट कचेहरी इलाहाबाद
रजि० ३३२ **ह०** बीना देवी

तिथि १०/११/२००२
 बीना देवी
 निवासी कचेहरी
 कोर्ट सं० ४२८
 २३-११-०२
 वासुदेव मध्यानि
 सिमा मल
 १२२ लूकरगंज
 २२-११-०२
 काज दिनांक २२-११-०२
 के मध्य छाया पति प्रमाण दिया।

Vandoo Mandhoo

२२-११-०२

वासुदेव मध्यानि उक्त
 ने स्वीकार किया।

श्रीरिन्द कुमार
 स्व० शम्भू नाथ
 १०२ जी ७३ बेकरी गंज
 पुणे
 श्री इन्द्र उद्वीन
 गौसपुर कटहुला

२२-११-०२

Vandoo Mandhoo

१/६

M.B.E.W.
 ५/२/०२
 २३-११-०२

२२-११-०२



2-

बेचा है। लेकिन बयनामा में गलती से अध्यक्ष का नाम पहले टाईप हो गया है तथा संस्था क्रेता का अंग्रेजी नाम लिखने से छूट गया है जिसका सही होना अति आवश्यक है। अतः प्रथम पदा यह तितिम्मा तहरिर कर के एकरारकरता है कि भूमि उपरोक्त वहक द्वितीय पदा क्रेता उत्थान सेन्टर फगर सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एन्ड पावर्टी एलिक्विशन (उत्थान सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन केन्द्र) न० 18 ए० आकलेन्ड रोड इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष श्री डा० दीना नाथ तिवारी पुत्र श्री विष्णु भगवान तिवारी निवासी न० 18 ए० आकलेन्ड रोड इलाहाबाद बेची गयी है और इस भूमि के स्वामी व मालिक उक्त क्रेता उत्थान सेन्टर फगर सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एन्ड पावर्टी एलिक्विशन (उत्थान सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन केन्द्र) 18 ए० आमलेन्ड रोड इलाहाबाद ही है।

लिहाजा यह तितिम्मा लिख दिया कि सन्द रहे तथा समय पर काम आवे।

विवरण आराजी

भूमिधरी आराजी न० 73 तिहत्तर रक्का 2 दो बीघा 9 नाँ क़िवा 7 सात

Di _____

Vandana Mondal



3-

घर स्थित मौजा रहीमाबाद परगना व तहसील सदर जनपद इलाहाबाद
कुल का कुल मय जुमला हक व हकूक के ।

टाँस कर्ता ⁹ *राजीव शर्मा* अहाता दीवानी कचहरी इलाहाबाद
मदविदा कर्ता *सुदेश नारायण त्रिपाठी*
दिवानी कचहरी दर नं 2 इलाहाबाद
दि 18-11-2002 ई

गवाह नं 1 *बिरेन्द्र कुमार*
पुत्र *इन्द्राणी शर्मा* नाम
102बी/3 *बनौरा*
इलाहाबाद

प्रथमपदा

Yashdeo Mandhau

द्वितीय पदा

श्री

गवाह नं 2 *जुनैद*
पुत्र *मोहम्मद उद्दीन*
जौंसपुर *बनौरा*

डा. Reel माह 16/11/2002
 श्री उत्कल होटल एंड रेस्टोरेंट के पास इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश
 निवासी 187 नं० 815 के हाथ स्थान वेवा इलाहाबाद शिव मोहन
अप्रहरी सिविल कोर्ट इलाहाबाद नं० 409 नं० 400
रजिस्टर नं० 409 निवास स्थान न्यू
बनबोदगंज इलाहाबाद

M. Agarwal

आज दिनांक 23-11-02
 पुस्तक संख्या 3575
 301 के पुस्तक पर दायरे 10463
306 पर रजिस्ट्रीकरण किया गया।
 उषा सिन्हा
 सदर, इलाहाबाद

मा. लक्ष्मी कृष्ण
 अ. नं० 95/445
 ल. जिला 194/03
 अ. नं० 514/8
 194/03 को दर्ज किया